

मूल वाद में डिक्की  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी... मनीषा लेखा R.A.S.

उनवान

बनाम

क्रिस्ताणाम

जागीरवाला

दावा बाबत

मुकदमा नंबर:-

निर्णय दिनांक:-

कृषि शक्ति विभाग

वादी की ओर से क्रिस्ताणाम की व प्रतिवादी की ओर से जागीरवाला की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-6-18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) मनीषा लेखा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्की दी जाती है कि :-

वादी का वाद पर जरिमे राजीनामा न तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाग प्रस्ताव 25 प्रमाण के लिए डिक्की जारी किया जाता है कि वादगत खेत (कत 397 रकबा 6.576 हेक्टर रकबा 490 रकबा 11.1288 हेक्टर कुल रकबा 2 कुल रकबा 17.70 हेक्टर वाले राई थान वादतर

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 30-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(मनीषा लेखा)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. रूपयों पर पलीडर की फीस		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमीशनर की फीस		6. कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

का तहसीलदार की डाकद्वारा द्वारा उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव राजीनामा के  
 हिसाब अलग-अलग दर्ज किया जाकर अलग अलग कायम किया  
 जावे। पुनर्विचार हिसाब विलियम सत्या के रहन दर्ज रहे  
 विभाजन प्रस्ताव क सम्बन्ध डिप्टी का माग रहे। फॉरमि  
 डिप्टी की परसना हुन नहासिडाए के अलग ले लिखा जावे।  
 परसवार कर्चा प्रकहमा अपना-अपना बहन रुदे

प्रद निर्णय आज दिनांक 30-6-18 को लेट मेगा लोक अदालत में  
 सुनाया गया।

*M. Anand*  
 उपस्थित अधिकारी  
 बीदासर (मुरु)

